न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1022/2024

अनवान : –

1. सजना पुत्री भागीरथ पत्नी हजारीराम जाति बावरी निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

– वादीया

बनाम्

1. भागीरथ पुत्र किशनलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 13/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व रूकमा पत्नी भागीरथ प्रत्येक के नाम एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी सं. 1 के 2 भाई और थे जिनमें एक भाई मोमनराम था जो छोटी अवस्था में फौत हो गया तथा शान्ति देवी वादीया की माता जो मोमन की पूर्व पत्नि थी उसने मोमन के फौत होने पर भागीरथ पुत्र किशनराम प्रतिवादी सं. 1 के साथ करेवा (शादी) कर ली तथा भागीरथ व शान्ति के नुत्फे से वादीया उत्पन हुई तथा माता शान्ति के फौत होने पर प्रतिवादी स. 1 ने रूकमा के साथ करेवा कर लिया तथा उसके नुत्फे से प्रतिवादी सं. 2 उत्पन हुई इस प्रकार वादीया, प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री होने से वाद भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात वादीया, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ सयुक्तत: ब. हि.ब. की खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा उक्त भूमि वादीया के दादा किशनाराम की अर्जित भूमि है जिसमें वादीया का बाई बर्थ राईट है तथा प्रतिवादी सं. 1 कर्ता खान दान होने से वाद भूमि अपने अकेले के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा लिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी दुसरी पत्नि रूकमा से उत्पन सन्तान प्रतिवादी सं. 2 के नाम रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता स. 317/269 की कुल तादादी 37 खसरेजात की 7.6530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें 5/22 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की दान पत्र दिनांक 2[illegible]2023 को करवा दिया दोनो खातेजात खाता सं. 317/269 की 3.47863636364 [illegible] 673/558 की 0.4301 हैक्टर कुल 3.90873636364 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा, की भूमि [illegible] लगभग भूमि दान पत्र द्वारा भूमि दे दी अब वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है गैरसायल सं. 1 का दोनो खातेजात में नाम कलमजन करवाकर वादीया प्रतिवादी सं. 1 के साथ सयुक्ततः ब.हि.ब. दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है वादीया उपरोक्त आशयों की घोषणा करापाने की अधिकारिणी है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा इस आशय का पेश किया वादीया का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा प्रतिवादी स0 1 व उसकी पत्नी वृद्ध है अकसर बीमार रहते है व इनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नही है प्रतिवादी स0 1 उक्त भूमि को ठेके पर देता है एवं ठेके की आय से अपना व पत्नी का ईलाज करवाता है। अतः जवाब दावा पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद खारिज फरमावे।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। वाद के समर्थन में वादीया ने बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी खाता स0 673/558 सम्वत 2074–77 ईएक्सपी–1, खाता स0 317/269 ईएक्सपी–2, चित्रप्रति वारिसनामा ग्राम पंचायत बिरकाली दिनांक 12.03.2013, प्रमाणित प्रतिलिपी गिफ्ट डिड दिनांक 26.12.23 ईएक्सपी–3, प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चा खतौनी रोही मौजा बिरकाली ईएक्सपी–4, रोही मौजा बिरकाली बारानी पर्चा खतौनी ईएक्सपी–5, पर्चा खतौनी रोही मौजा बिरकाली बारानी ईएक्सपी–6, जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली सम्वत 2050 ईएक्सपी–7 प्रदर्शित करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व रूकमा पत्नी भागीरथ प्रत्येक के नाम एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के 3 भाई और थे जिनमें एक भाई मोमनराम था जो छोटी अवस्था में फौत हो गया तथा शान्ति देवी वादीया की माता जो मोमन की पूर्व पत्नि थी उसने मोमन के फौत होने पर भागीरथ पुत्र किशनराम प्रतिवादी सं. 1 के साथ करेवा (शादी) कर ली तथा भागीरथ व शान्ति के नुत्फे से वादीया उत्[redacted] हुई तथा माता शान्ति के फौत होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स. 1 ने रूकमा के साथ करेवा कर लिया तथा उसके नुत्फे से प्रतिवादी सं. 2 उत्पन हुई इस प्रकार वादीया, प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री होने से वाद भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात वादीया, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ सयुक्ततः ब. हि.ब. की खातेदार काश्तक़ार है। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा उक्त भूमि वादीया के दादा किशनाराम की अर्जित भूमि है जिसमें वादीया का बाई बर्थ राईट है तथा प्रतिवादी सं. 1 कर्ता खान दान होने से वाद भूमि अपने अकेले के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा लिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी दुसरी पत्नि रूकमा से उत्पन सन्तान प्रतिवादी सं. 2 के नाम रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता स. 317/269 की कुल तादादी 37 खसरेजात की 7.6530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें 5/22 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की दान पत्र दिनांक 26/12/2023 को करवा दिया दोनो खातेजात खाता सं. 317/269 की 3.47863636364 हैक्टर व खाता सं. 673/558 की 0.4301 हैक्टर कुल 3.90873636364 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा, की भूमि के लगभग भूमि दान पत्र द्वारा भूमि दे दी अब वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिए वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है गैरसायल सं. 1 का दोनो खातेजात में नाम कलमजन करवाकर वादीया प्रतिवादी सं. 1 के साथ सयुक्ततः ब.हि.ब. दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व रूकमा पत्नी भागीरथ प्रत्येक के नाम एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दानपत्र के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 द्वारा दिनांक 26.12.2023 को प्रतिवादी स0 1 द्वारा 1.7393 हैक्ट भूमि का रूकमा के पक्ष में दानपत्र किया गया है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है अर्थात उक्त भूमि पूर्व में वादीया के दादा किशना के नाम दर्ज रही है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा रूकमा जो की प्रतिवादी स0 2 की माता है के पक्ष में दानपत्र किया गया है अर्थात प्रतिवादी स0 2 का जितना हक हिस्सा बनता है उतनी भूमि प्रतिवादी स0 1 द्वारा प्रतिवादी स0 2 की माता के नाम दर्ज करवा दी गई है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम वर्तमान में दर्ज भूमि में वादीकया का जन्मजात हक हिस्सा है एवं बहिब दर्ज करवा पाने की अधिकारी है एवं [illegible] किये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना पेश किया गया है अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण [illegible] स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1022/2024

अनवान : –

1. सजना पुत्री भागीरथ पत्नी हजारीराम जाति बावरी निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

– वादीया

बनाम्

1. भागीरथ पुत्र किशनलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1022 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री मदन मोहन जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कुलदीप सिंह खुडिया की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:37 IST
Reason: SelfAttested